भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग III खंड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2020

फा. संख्याः 21–4/2018– बीएंडसीएस.— केंद्र सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), की अधिसूचना संख्या 39 के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (बी) के उपखंड (v) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,–

(ए) जो उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (डी) और धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (के) के परंतुक के तहत केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई, और

(बी) दिनांक 9 जनवरी, 2004 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 44 (ई) और 45 (ई) के तहत –

भारतीय दूरसंचार विनियामक अधिनियम, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (वर्ष 2017 का 2) को संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नवत विनियम तैयार करता है, नामतः–

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं,
सेवा की गुणवÜाा के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एडेसेबल प्रणालियां)
(तीसरा संशोधन) विनियम, 2020
(वर्ष 2020 का 2)

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.—** (क) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 (वर्ष 2020 का 2) कहा जाएगा।

(ख) यह विनियम संपूर्ण भारत में लागू होंगे।

(ग) वे दिनांक 01 मार्च, 2020 से लागू होंगे।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् मूल विनियम कहा जाएगा) के विनियम 2 में —

(क) खंड (गग) के पश्चात्, निम्नवत खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः–

''(गगक) ''दीर्धकालिक सब्सक्रिप्शन'' का अभिप्राय छह माह अथवा अधिक की अवधि के लिए एक सब्सक्रिप्शन, जिसके लिए सब्सक्राइबर द्वारा अग्रिम भुगतान किया गया हो,''

(ख) खंड (ङङ) के पश्चात्, निम्नवत खंड को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः–

''(ङङक) '' मल्टी टीवी होम'' का अभिप्राय एक ऐसा घर है जहां एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक टेलीविजन कनेक्शन अथवा सेट टॉप बॉक्स हों;''

3. मूल विनियमों के विनियम 10 में, प्रथम परंतुक में ''उन्नीस रुपये'' शब्दों को ''बारह रुपये'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

4. मूल विनियमों के विनियम 38 में, उप–विनियम (1) और इसके परंतुक के स्थान पर, निम्नवत उप–विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः–

''(1) टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने प्लेटफार्म पर उपलब्ध सभीं टेलीविजन चैनलों को इस प्रकार से इलेक्ट्रिानिक प्रोग्राम गाईड में प्रदर्शित करेगा कि किसी जॉनर के एक भाषा के सभी टेलीविजन चैनलों को एक साथ लगातार दर्शाया जाए और एक टेलीविजन चैनल केवल एक स्थान पर ही प्रदर्शित किया जाए।''

5. मूल विनियमों की अनुसूची I की मद संख्या 6 में उप–मद (ग) के पश्चात्, निम्नवत उप–मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः–

'' (घ) दीर्धकालिक सब्सक्रिप्शन, यदि कोई हो तो

(ङ) मल्टी टीवी होम के मामले में टेलीविजन कनेक्शनों की संख्या।''

6. मूल विनियमों की अनुसूची I की मद संख्या 7 में —

(क) ''नेटवर्क क्षमता शुल्क'' शब्दों'' से पूर्व ''क्षेत्र–वार'' शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप–मद (क) में, ''100'' संख्या के स्थान पर ''200'' संख्या को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप–मद (ख) के स्थान पर, निम्नवत उप मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः–

''(ख) 200 से अधिक चैनलों के लिए;''

(घ) उप–मद (ख) के पश्चात्, निम्नवत उप–मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः–

''(ग) मल्टी टीवी होम के मामले में प्रथम टेलीविजन कनेक्शन के अलावा प्रत्येक अतिरिक्त टीवी कनेक्शन के लिए।''

7. मूल विनियमों की अनुसूची II के मद 2 के स्थान पर निम्नवत मद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः–

''2. प्रतिमाह, क्षेत्र–वार नेटवर्क क्षमता शुल्क का ब्योरा,:

(क) किसी सब्सक्राइबर द्वारा 200 एसडी चैनलों के लिए संदाय योग्य;

(ख) किसी सब्सक्राइबर द्वारा 200 चैनलों से अधिक के लिए संदाय योग्य;''

(एस0 के0 गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

नोट 1 –– मूल विनियमों को दिनांक 03 मार्च, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III खंड 4 में अधिसूचना संख्या 21–5/2016– बीएंडसीएस के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

नोट 2 –– मूल विनियमों को दिनांक 28 दिसम्बर, 2018 (वर्ष 2018 का 11) की अधिसूचना संख्या 21–4/2018–बीएंडसीएस के माध्यम से संशोधित किया गया था।

नोट 3 –– मूल विनियमों को दिनांक 09 अक्तूबर, 2019 (वर्ष 2019 का 6) की अधिसूचना संख्या 12–37/2019–बीएंडसीएस के माध्यम से आगे संशोधित किया गया था।

नोट 4 –– व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 (वर्ष 2020 का 2) के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 03 मार्च, 2017 को प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नए विनियामक ढ़ांचे को अधिसूचित किया। नया ढ़ांचा दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 को प्रभावी हुआ। तथापि, सब्सक्राइबरों को अपने विकल्प को अपनाने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए, प्राधिकरण ने दिनांक 31 जनवरी, 2019 तक का समय उपलब्ध कराया। नए ढ़ांचे में निम्नवत विनियम तथा प्रशुल्क आदेश सम्मिलित हैं:–

   (क) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क आदेश, 2017 (प्रशुल्क आदेश, 2017)

   (ख) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (अंतर्संयोजन विनियम, 2017)

   (ग) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं, सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 (सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2017)

2. नए विनियामक ढ़ांचे को कार्यान्वित करने के दौरान विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 16 अगस्त, 2019 को ''प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए प्रशुल्क संबंधी मुद्दों'' तथा दिनांक 29 सितम्बर, 2019 को अंतर्संयोजन विनियम, 2017 से संबंधित मुद्दों पर एक परामर्श पत्र जारी किया। उपर्युक्त परामर्श प्रक्रिया के पश्चात् प्रशुल्क आदेश, 2017 में कुछ संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2017 में संबंधित संशोधनों को अनिवार्य बना दिया था। तदनुसार, सेवा की गुणवत्ता विनियम, 2017 में संशोधन किया गया है। इन संशोधनो को किए जाने के पीछे विस्तृत औचित्य को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) आदेश, 2020 और दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 के साथ संलग्न संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।